

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु

क्रमांक : 28

दिनांक : 20.07.2023

कार्यालय आदेश

चूरु न्याय क्षेत्र में राजकीय अवकाशों के दौरान बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अगस्त, 2023 के लिये निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती है:-

-: माह अगस्त :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	ड्यूटी दिनांक
1.	कन्हैयालाल पारीक	अति. मुख्य न्यायिक मजि. रतनगढ़, (चूरु)	9414547152	06.08.2023
2.	नवनीत	अति. मुख्य न्यायिक मजि. सुजानगढ़, (चूरु)	9414300461	09.08.2023
3.	प्रतिभा सिंह राठौड़	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु	8003231295	12.08.2023 व 13.08.2023
4.	कनिष्का यादव	न्यायिक मजिस्ट्रेट, (चूरु)	9887703945	15.08.2023
5.	मनमोहन चन्देल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर (चूरु)	9982267651	20.08.2023
6.	हर्ष मीणा	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, राजगढ़ (चूरु)	8290481196	26.08.2023 व 27.08.2023
7.	विजयप्रताप गोस्वामी	अति. मुख्य न्यायिक मजि. सरदारशहर, (चूरु)	9799023123	30.08.2023

1. इन राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त चूरु न्यायक्षेत्र के लिए **मनमोहन चन्देल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर** की ड्यूटी लगायी जाती है।
2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हों तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
3. उपरोक्त आदेश में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा परंतु अत्यावश्यक कार्य होने पर संबंधित अधिकारी को अन्य न्यायिक अधिकारी से सहमति प्राप्त करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में रिमाण्ड ड्यूटी का परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा।
4. इस आदेश को पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक प्रभावी माना जायेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरु (राज.) 20/07/23

क्रमांक : 1055

दिनांक :-20.07.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरु को सादर।
2. पुलिस अधीक्षक, चूरु को समस्त थानाधिकारियों के लिये सूचनार्थ।
3. जिला आबकारी अधिकारी, चूरु को समस्त आबकारी वृत्तों के लिये सूचनार्थ।
4. उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को जरिये ई-मेल।
5. सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, चूरु को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय आदेश।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरु (राज.) 20/07/23